

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(वाणिज्यिक शाखा)


क्र0जेपीडी/उमुअ(सीपीएण्डआरई)/अधी.अभि.(वा0)/पत्रा.सी.।/एफ.4(210)पार्ट-X/प्रे0 2082 दि0 10.11.05

आदेश

विषय - कृषि कनेक्शन में जले हुए मीटर के मामलों में वी.सी.आर. भरने के विषय में।

यह ध्यान में लाया गया है कि विजिलेन्स चैकिंग अधिकारी कृषि कनेक्शनों में जले हुए मीटरों के मामले में भी विद्युत चोरी के केस बनाते हैं जिससे किसानों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

इस विषय पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में जहां किसान का मीटर जला हुआ हो (एक या दो फेस नहीं आ रहे हों या तीनों फेस नहीं आ रहे हों) और उपभोक्ता ने जले हुए फेस को डाइरेक्ट कर रखा हो तो ऐसे मामले जले हुए मीटर की श्रेणी में आते हैं जो टी.सी.एस.-2004 के क्लाज-27 के अन्तर्गत आते हैं। ऐसे मामलों में निगम के पूर्व आदेश क्र0 1655 दिनांक 23.11.04 (जेपीआर-237) के अनुसार फ्लेट रेट के चार्जज वसूल करने चाहिए। ध्यान रहे कि ऐसे मामलों में चोरी का मामला नहीं बनाया जाये।


(बी0 एल0 अग्रवाल)

उप मुख्य अभियन्ता(सी.पी.एण्ड आर.ई.)

६